[न्]यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी (राज0)

[पीठा]सीन अधिकारी :— राजेश जोशी आर.ए.एस.

[वा]दे संख्या :— 21/दावा/2018

कैलाश मीणा पत्नि श्री गिरिराज कुमार वर्मा जाति मीणा निवासी 114 महावीर नगर प्रथम कोटा जिला कोटा (राज.)

— वादीनी

— बनाम —

1. भैरूलाल आ0 हीरालाल जाति मीणा निवासी भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
2. महावीर आ0 श्री हीरालाल जाति मीणा निवासी भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
3. धनराज आ0 श्री हीरालाल जाति मीणा निवासी भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
4. हंसराज आ0 श्री बाला जाति मीणा निवासी भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)

प्रतिवादीगण —

वाद : अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

वाद बाबत् बंटवारा कृषि भूमि

उपस्थित :— 1. वादी की ओर से श्री नन्दसिंह सोंलकी व श्री महावीर बैरागी अधिवक्ता

2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 16.05.2018

1. वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :—

वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 कि संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 467 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर वादिनी का 2/3 हिस्सा निहित है एवं इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का संयुक्त रूप से 3/12 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी सं. 4 का 1/12 हिस्सा निहित है। वादिनी तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 वाद वर्णित कृषि भूमि पर हिस्से अनुसार मौखिक बंटवारा कर काबिज काश्त है। वाद वर्णित भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है। दिनांक 28.02.2018 को प्रतिवादीगण से वाद वर्णित कृषि

Scanned by CamScanner

भूमि का माप व सीमांकन के आधार पर बंटवारा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने से साफ मना कर दिया। जिससे वाद प्रस्तुती का वादकारण उत्पन्न हुआ। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि का माप व सीमांकन के आधार पर विभाजन की डिक्री जारी की जावे।

2. वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 04.04.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वादीनी की ओर से साक्ष्य मे शपथ पत्र पेश किया गया तथा निम्न दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये जिनमे प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2071–74 ग्राम भोपतपुरा प्रदर्श–1 एवं नक्शा ट्रेस ग्राम भोपतपुरा प्रदर्श–2 है।

4. वादीनी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीनी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये जमाबन्दी में वर्णित हिस्से एवं मौका स्थिति अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने वादीनी वकील की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। यहां पर यह स्वीकृत स्थिति है कि वादीनी व प्रतिवादीगण के मध्य कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा नही हुआ है ऐसी स्थिति मे वादीनी वाद वर्णित तथ्यों के अनुसार वाद वर्णित कृषि भूमि का बंटवारा करवाने की अधिकारी पायी जाती है।

निर्णय

परिणामस्वरूप वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 467 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी का जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में दर्ज खातेदारों के उसमें वर्णित हिस्से, कब्जे व माप एवं सीमांकन के आधार पर बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर बंटवारा रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। उक्तानुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16–05–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेश जोशी)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

Scanned by CamScanner